

झारखण्ड सरकार सांस्कृतिक कार्य निदेशालय
(पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग)

Phone: 0651-2401917 E-mail: dirjharkhandculture@gmail.com

पत्रांक : 393

राँची, दिनांक : 29.08.2023

“आवश्यक सूचना”

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निम्न तीन अकादमियों का गठन प्रस्तावित है :-

1. झारखण्ड राज्य संगीत नाटक अकादमी।
2. झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी।
3. झारखण्ड राज्य साहित्य अकादमी।

एतद् द्वारा राज्य के संबंधित कला क्षेत्रों के प्रबुद्ध कलाकार / संस्कृति कर्मी / रंगकर्मी / साहित्यकार / दृश्य कलाकार / प्रदर्शय कलाकार आदि से उक्त प्रस्तावित अकादमियों के संबंध में सुझाव / विचार / पक्ष / प्रस्ताव / मत आमंत्रित की जाती है। निदेशालय के वेबसाईट www.jharkhandculture.com से उक्त प्रस्तावित अकादमियों का प्रारूप नियमावली डाउनलोड करते हुए अपना सुझाव / विचार / पक्ष / मत दिनांक 11.09.2023 को अप० 5.00 बजे तक सांस्कृतिक कार्य निदेशालय कार्यालय (कमरा संख्या 309(ए०), आगत-निर्गत शाखा, तृतीय तल, एम०डी०आई०भवन, धुर्वा, राँची-4) में निबंधित डाक / कुरियर / हाथों-हाथ या निदेशालय के ई-मेल dirjharkhandculture@gmail.com पर समर्पित किया जा सकता है।

ह०/-

निदेशक, संस्कृति
सांस्कृतिक कार्य निदेशालय
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
सांस्कृतिक कार्य निदेशालय
(पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग)

प्रस्तावित "झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी" के गठन से संबंधित संविधान एवं नियमावली प्रारूप :-

झारखण्ड राज्य के प्रदर्शय कला, दृश्य कला, चित्रकला, शिल्पकला, वास्तु कला अंतर्गत सांस्कृतिक एवं कला विविधताओं के समग्र प्रचार-प्रसार एवं विकास के लिए पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार "झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी" के गठन का प्रस्ताव निम्नवत् करती है :-

1. **मुख्यालय एवं कार्य क्षेत्र** - "झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी" सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के अंतर्गत कार्यरत रहेगी। इस अकादमी का मुख्यालय, राँची झारखण्ड में हीमा तथा इसका कार्य क्षेत्र पूर्ण झारखण्ड होगा।
2. **उद्देश्य** - "झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी", के गठन का मुख्य उद्देश्य झारखण्ड राज्य के पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में कला एवं सांस्कृतिक विविधताओं के अंतर्गत प्रदर्शय कला, दृश्य कला, चित्रकला, शिल्पकला, वास्तु कला आदि के समग्र प्रचार-प्रसार एवं विकास का होगा। इसके अंतर्गत अकादमी निम्न कार्य सम्पादित कर सकेगी :-
 - (क) झारखण्ड राज्य में प्रदर्शय कला, दृश्य कला, चित्रकला, शिल्पकला, वास्तु कला आदि के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के सांस्कृतिक ईकाई, राज्य के कलाकारों को बढ़ावा देना।
 - (ख) झारखण्ड राज्य में प्रदर्शय कला, दृश्य कला, चित्रकला, शिल्पकला, वास्तु कला आदि के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के सांस्कृतिक ईकाई तथा राज्य के संबंधित कलाकारों के अभिलेखों का प्रकाशन करना/प्रकाशन में सहायता प्रदान करना।
 - (ग) सम्मेलन, सेमिनार, प्रदर्शनी, कार्यशाला आदि का आयोजन करना/आयोजन को प्रोत्साहित करना।
 - (घ) कला एवं सांस्कृतिक विविधताओं के अंतर्गत प्रदर्शय कला, दृश्य कला, चित्रकला, शिल्पकला, वास्तु कला आदि के क्षेत्रों में अध्ययन तथा शोध को संरक्षित, प्रदर्शित एवं प्रोत्साहित करना।
 - (च) कला संस्कृति के अंतरराज्यीय तथा अंतरदेशीय आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

3. अकादमी के पदाधिकारीगण एवं उनका कार्य दायित्व :-

(क) अध्यक्ष - (i) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष का चयन, अकादमी के महासभा के द्वारा महासभा के सदस्यों के मध्य से किया जायेगा। अकादमी के महासभा के द्वारा चयन एवं अनुशंसा के उपरांत पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के अनुमोदन से अध्यक्ष नियुक्त किये जायेंगे।

(ii) अध्यक्ष का कार्यकाल 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए होगा। अपितु, उक्त कार्यकाल सीमा समाप्त होने पर तथा नये अध्यक्ष का चयन होने तक कार्यहित में वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा कार्य दायित्व निर्वहन किया जा सकेगा।

(ख) उपाध्यक्ष - (i) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष का चयन, अकादमी के महासभा के द्वारा महासभा के सदस्यों के मध्य से किया जायेगा। अकादमी के महासभा के द्वारा चयन एवं अनुशंसा के उपरांत पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के अनुमोदन से उपाध्यक्ष नियुक्त किये जायेंगे।

(ii) उपाध्यक्ष का कार्यकाल 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए होगा। अपितु, उक्त कार्यकाल सीमा समाप्त होने पर तथा नये उपाध्यक्ष का चयन होने तक कार्यहित में वर्तमान उपाध्यक्ष के द्वारा कार्य दायित्व निर्वहन किया जा सकेगा।

(iii) अध्यक्ष के अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के सभी कार्य दायित्वों एवं शक्तियों का निर्वहन करेंगे।

(ग) कोषाध्यक्ष - (i) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के कोषाध्यक्ष का चयन, अकादमी के महासभा के द्वारा महासभा के सदस्यों तथा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के मध्य से किया जायेगा। इस हेतु अकादमी की कार्यकारिणी समिति भी महासभा को पैनल प्रस्तावित कर सकेगी। अकादमी के महासभा के द्वारा चयन एवं अनुशंसा के उपरांत पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के अनुमोदन से कोषाध्यक्ष नियुक्त किये जायेंगे।

(ii) कोषाध्यक्ष का कार्यकाल 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए होगा। अपितु, उक्त कार्यकाल सीमा समाप्त होने पर तथा नये कोषाध्यक्ष का चयन होने तक कार्यहित में वर्तमान कोषाध्यक्ष के द्वारा कार्य दायित्व निर्वहन किया जा सकेगा।

(iii) कोषाध्यक्ष का कार्य दायित्व निम्नवत् होगा :-

- (a) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के वार्षिक बजट, लेखा अभिलेख तैयार करना तथा अकादमी के महासभा, कार्यकारिणी समिति, वित्तीय समिति में प्रस्तुत करना।
- (b) अकादमी को प्राप्त होने वाले सभी वित्तीय राशि, अनुदान का लेखा अभिलेख रखना तथा महासभा एवं कार्यकारिणी समिति के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में उद्देश्य/योजना/कार्य विशेष के लिए प्राप्त वित्तीय राशि, अनुदान को उसी उद्देश्य/योजना/कार्य विशेष हेतु व्यय करना।
- (c) अकादमी के महासभा, कार्यकारिणी समिति, वित्तीय समिति के निर्देश पर अकादमी से संबंधित वित्तीय कार्यों का सम्पादन करना।

(घ) सचिव – (i) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के सचिव का चयन, अकादमी के महासभा के द्वारा महासभा के सदस्यों तथा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के मध्य से किया जायेगा। इस हेतु अकादमी की कार्यकारिणी समिति भी महासभा को पैनल प्रस्तावित कर सकेगी। अकादमी के महासभा के द्वारा चयन एवं अनुशंसा के उपरांत पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के अनुमोदन से सचिव नियुक्त किये जायेंगे।

(ii) सचिव का कार्यकाल 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए होगा। अपितु, उक्त कार्यकाल सीमा समाप्त होने पर तथा नये सचिव का चयन होने तक कार्यहित में वर्तमान सचिव के द्वारा कार्य दायित्व निर्वहन किया जा सकेगा।

(iii) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के सचिव ही, अकादमी के महासभा, कार्यकारिणी समिति, वित्तीय समिति तथा महासभा एवं कार्यकारिणी समिति के द्वारा अकादमी के कार्य विशेष हेतु बनाये गये अन्य समितियों के भी सचिव होंगे।

(iv) सचिव का कार्य दायित्व निम्नवत् होगा :-

- (a) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के सभी अभिलेखों का संधारण।
- (b) अकादमी एवं अकादमी के महासभा, कार्यकारिणी समिति, वित्तीय समिति तथा के प्राधिकारों की ओर से कार्यालयी पत्राचार करना।
- (c) अकादमी के महासभा, कार्यकारिणी समिति, वित्तीय समिति तथा महासभा एवं कार्यकारिणी समिति के द्वारा अकादमी के कार्य विशेष हेतु बनाये गये अन्य समितियों के बैठकों हेतु सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर सूचना निर्गत करना।

- (d) अकादमी के महासभा, कार्यकारिणी समिति, वित्तीय समिति तथा महासभा एवं कार्यकारिणी समिति के द्वारा अकादमी के कार्य विशेष हेतु बनाये गये अन्य समितियों के सभी बैठकों की कार्यवाही को संधारित करना।
- (e) कोषाध्यक्ष की सहायता से अकादमी के लेखा को संधारित कराना तथा अकादमी का वार्षिक प्रतिवेदन महासभा एवं सभी समितियों के समक्ष प्रस्तुत करना।
- (f) सांस्कृतिक कार्य निदेशालय/पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

4. अकादमी के विभिन्न प्राधिकार/समितियाँ, उनकी रूपरेखा एवं कार्य दायित्व – झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के अंतर्गत निम्न प्राधिकार/समितियाँ कार्यरत रहेंगी :-

- (क) महासभा।
- (ख) कार्यकारिणी समिति।
- (ग) वित्तीय समिति।
- (घ) अकादमी के महासभा एवं कार्यकारिणी समिति के द्वारा अकादमी के कार्य विशेष हेतु बनाये गये अन्य समितियाँ।

(क) महासभा :-

(a) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के महासभा का गठन निम्नवत् होगा :-

- (i) पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा नामित 06 (छः) सदस्य – झारखण्ड राज्य में कला एवं सांस्कृतिक विविधताओं के अंतर्गत प्रदर्शय कला, दृश्य कला, चित्रकला, शिल्पकला, वास्तु कला आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त सदस्यों का मनोनयन पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा किया जायेगा।
- (ii) झारखण्ड राज्य के सभी जिलों से उपायुक्तों के माध्यम से नामित दो-दो सदस्य अर्थात् कुल 24 (चौबीस) सदस्य – झारखण्ड राज्य के प्रत्येक जिला से प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु राज्य में कला एवं सांस्कृतिक विविधताओं के अंतर्गत प्रदर्शय कला, दृश्य कला, चित्रकला, शिल्पकला, वास्तु कला आदि क्षेत्र में संबंधित जिला के ख्याति प्राप्त सदस्यों का मनोनयन संबंधित उपायुक्तों के द्वारा किया जायेगा।

महासभा के कुल 30 (तीस) सदस्यों में से ही स्वयं निम्न रूप से (उपरोक्त कंडिका 03 के अंतर्गत) चयन के द्वारा संरचना की जायेगी :-

- (i) अध्यक्ष- 01 (एक),
- (ii) उपाध्यक्ष- 01(एक),
- (iii) कोषाध्यक्ष- 01 (एक),
- (iv) सचिव- 01 (एक),
- (v) सदस्य- 26 (छब्बीस),

(b) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के महासभा के सभी सदस्यों की सदस्यता-अवधि, उनके महासभा के सदस्य बनने की तिथि से 03 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए होगी। झारखण्ड राज्य साहित्य अकादमी के महासभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव का कार्यकाल 03 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए होगा, अपितु, उक्त कार्यकाल सीमा समाप्त होने पर तथा नये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव का चयन होने तक कार्यहित में वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा कार्य दायित्व निर्वहन किया जा सकेगा। महासभा के सभी सदस्यों को पुनः महासभा के सदस्य मनोनीत होने का अधिकार होगा, परन्तु महासभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव के रूप में एक सदस्य विशेष मात्र अधिकतम 03 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए ही रह सकते हैं, जिसके उपरांत एक सदस्य विशेष महासभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/कोषाध्यक्ष/सचिव के रूप में अपने पूर्व कार्यकाल की समाप्ति के 03 (तीन) वर्षों के उपरांत ही पुनः महासभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/कोषाध्यक्ष/सचिव के रूप में चयनित हो सकते हैं।

(c) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के महासभा के सभी सदस्यों की सदस्यता-अवधि, उनके महासभा के सदस्य बनने की तिथि से 03 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए होगी जिसके समाप्त होने के उपरांत पुनः विहित प्रक्रिया अंतर्गत नये सदस्यों को महासभा में शामिल किया जायेगा तथा नये महासभा का गठन किया जायेगा।

(d) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के महासभा का कार्य दायित्व :-

- (i) महासभा के अध्यक्ष का चुनाव करना ।
- (ii) महासभा के उपाध्यक्ष का चुनाव करना ।
- (iii) महासभा के कोषाध्यक्ष का चुनाव करना ।
- (iv) महासभा के सचिव का चुनाव करना ।
- (v) महासभा के अन्य सदस्यों में से कुल 06 (छः) सदस्यों का अकादमी के कार्यकारिणी समिति के लिए चुनाव करना (कंडिका 04 (ख) के प्रावधानों के अंतर्गत)।

- (vi) महासभा के अन्य सदस्यों में से कुल 04 (चार) सदस्यों का अकादमी के वित्तीय समिति के लिए चुनाव करना (कंडिका 04 (ग) के प्रावधानों के अंतर्गत)।
- (vii) कार्यकारिणी समिति के द्वारा अनुशंसित, अकादमी के वार्षिक बजट एवं वार्षिक लेखा को अनुमोदित करना।
- (viii) अकादमी एवं अकादमी के समितियों के लिए विभिन्न नियमों, अधिनियम, कार्य विधि के नियम का गठन करना तथा पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत उसका पालन करना।
- (ix) कार्यकारिणी समिति के द्वारा अनुशंसित कार्यक्रमों, योजनाओं एवं कार्यों को अनुमोदित करना।
- (x) पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
- (e) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के महासभा का बैठक :- महासभा का बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित तिथि में कम-से-कम एक बार सामान्यतः रूप से अवश्य होगी। विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष के द्वारा स्वयं या कार्यकारिणी समिति के द्वारा स्वयं या महासभा के न्यूनतम दो-तिहाई सदस्यों के अनुरोध प्रस्ताव पर महासभा की विशेष बैठक आहूत की सकती है।
- (ख) कार्यकारिणी समिति :-
- (a) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के कार्यकारिणी समिति का गठन निम्नवत् होगा :-
- (i) अध्यक्ष- 01 (एक),
 - (ii) उपाध्यक्ष- 01 (एक),
 - (iii) कोषाध्यक्ष- 01 (एक),
 - (iv) सचिव- 01 (एक),
 - (v) 'पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा नामित 02 (दो) सदस्य - झारखण्ड राज्य में कला एवं सांस्कृतिक विविधताओं के अंतर्गत प्रदर्शय कला, दृश्य कला, चित्रकला, शिल्पकला, वास्तु कला आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त सदस्यों का मनोनयन पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा किया जायेगा।

- (vi) महासभा के सदस्यों में से कुल 06 (छः) सदस्य— महासभा के सदस्यों में से महासभा के द्वारा चुनाव किये गए कुल 06 (छः) सदस्य अकादमी के कार्यकारिणी समिति के सदस्य होंगे।

कार्यकारिणी समिति के उक्त कुल 12 (बारह) सदस्यों में से ही समिति के द्वारा स्वयं निम्न रूप से चयन के द्वारा संरचना की जायेगी :-

- (i) अध्यक्ष— 01 (एक),
 - (ii) उपाध्यक्ष— 01 (एक),
 - (iii) कोषाध्यक्ष— 01 (एक),
 - (iv) सचिव— 01 (एक),
 - (v) सदस्य— 08 (आठ)
- (b) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 03 (तीन) वर्ष का होगा।
- (c) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के कार्यकारिणी समिति का कार्य दायित्व :-
- (i) महासभा के द्वारा निर्धारित नीति निर्देशों के अंतर्गत अकादमी का कार्यकारी प्राधिकार के रूप में कार्य संपादन करना।
 - (ii) कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करना।
 - (iii) अकादमी के कार्यों हेतु उत्तरदायित्व होना।
 - (iv) अकादमी के लिए कार्यक्रमों, योजनाओं एवं कार्यों को तैयार करना तथा महासभा के अनुमोदन हेतु अनुशंसित करना। महासभा के अनुमोदन के उपरांत अकादमी के कार्यक्रमों, योजनाओं एवं कार्यों का क्रियान्वयन कराना।
 - (v) अकादमी के वित्तीय समिति के अनुशंसा एवं परामर्श पर अकादमी का वार्षिक बजट एवं वार्षिक लेखा को तैयार करना तथा महासभा के अनुमोदन हेतु अनुशंसित करना।
 - (vi) अकादमी को प्राप्त होने वाले सभी वित्तीय राशि, अनुदान के अंतर्गत महासभा से अनुमोदित उद्देश्य/योजना/कार्य विशेष के लिए प्राप्त वित्तीय राशि, अनुदान को उसी उद्देश्य/योजना/कार्य विशेष हेतु व्यय करना।
 - (vi) पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

(d) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के कार्यकारिणी समिति का बैठक :- अकादमी का कार्यकारी प्रधिकार होने के कारण कार्यकारिणी समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष के द्वारा आवश्यकतानुसार नियमित रूप से आहूत की जायेगी।

(ग) वित्तीय समिति :-

(a) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के वित्तीय समिति (08 आठ सदस्यीय) का गठन निम्नवत् होगा :-

- (i) निदेशक, संस्कृति, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड सचिवी - अध्यक्ष, वित्तीय समिति।
- (ii) उपाध्यक्ष, झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी - उपाध्यक्ष, वित्तीय समिति।
- (iii) सचिव, झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी - सचिव, वित्तीय समिति।
- (iv) कोषाध्यक्ष, झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी - सदस्य।
- (v) महासभा के सदस्यों में से महासभा के द्वारा चुनाव किये गए कुल 04 (चार) सदस्य। (महासभा में से कार्यकारिणी समिति में चुनाव किये गए सदस्यों से भिन्न सदस्य)।

(b) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के वित्तीय समिति के सदस्यों (सरकारी प्राधिकारों को छोड़कर) का कार्यकाल 03 (तीन) वर्ष का होगा।

(c) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के वित्तीय समिति का कार्य दायित्व :-

- (i) पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा अकादमी हेतु प्राप्त वित्तीय बजट के आधार पर अकादमी के लिए एक वित्तीय वर्ष में व्यय सीमा का निर्धारण करना तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
- (ii) अकादमी के कार्यकारिणी समिति को वार्षिक बजट एवं वार्षिक लेखा तैयार करने हेतु अनुशंसा एवं परामर्श उपलब्ध कराना।

(d) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी के वित्तीय समिति का बैठक :- वित्तीय समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष के द्वारा आवश्यकतानुसार नियमित रूप से आहूत की जायेगी।

(e) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी का लेखा अंकेक्षण :- अकादमी का लेखा अंकेक्षण राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

5. सामान्य नियम –

- (i) महासभा के द्वारा अकादमी एवं अकादमी के समितियों के लिए विभिन्न नियमों, अधिनियम, कार्य विधि के नियम का गठन के उपरान्त पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (ii) महासभा के न्यूनतम तीन-चौथाई सदस्यों के सहमति से अकादमी के नियमों, अधिनियम, कार्य विधि में परिवर्तन प्रस्ताव पारित किया जा सकेगा, परन्तु उक्त पारित प्रस्ताव को लागू करने हेतु पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (iii) अकादमी के महासभा/कार्यकारिणी समिति/वित्तीय समिति के द्वारा पारित किसी भी कार्यवाही/निर्णय, जो अकादमी के संकल्प में परिभाषित अपनी शक्तियों और कार्यों के अनुसार नहीं हो, उसे महासभा द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकता है।
- (iv) अकादमी के महासभा/कार्यकारिणी समिति/वित्तीय समिति के द्वारा पारित कोई भी कार्यवाही/निर्णय, केवल उसके सदस्यों के मध्य कोई रिक्ति होने की स्थिति में अमान्य नहीं होगी।
- (v) अकादमी के महासभा/कार्यकारिणी समिति/वित्तीय समिति या किसी अन्य समिति के सदस्यों (पदेन सदस्यों के अलावा) के बीच होने वाली आकस्मिक रिक्तियां, मौजूदा व्यक्ति/सदस्य के द्वारा या सदस्य नियुक्त/निर्वाचित होते ही भरी जायेंगी।
- (vi) पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा अकादमी के पूर्ण विघटन/समाप्त किये जाने की स्थिति में, अकादमी की सभी अभिलेख, भौतिक सम्पत्ति पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार की होगी।
- (vii) झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग), झारखण्ड, राँची के अंतर्गत कार्यरत रहेगी। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग), झारखण्ड, राँची के द्वारा अकादमी हेतु समय-समय पर निर्गत प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।